

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

पत्रोंक:- सी०एफ०ओ० / एफ०पी० / पेट्रोल पम्प— 133 / एफ०एस०—2016  
सेवा में,

अधिकारी

हरदोई

दिनांक: मई, 6, 2016

**प्रभारी अधिकारी(सं० का०)**

हरदोई

विषय:- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर के पत्र दिनांक: 13.04.2016 के द्वारा खाता नं० 899 ग्राम वल्लीपुर परगना वंगर तहसील व जनपद हरदोई पर रिटेल आउट लेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 3350 / xx -जे०ए०-अनापत्ति / 2016 दिनांक— 22.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एवं स्थल का अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

**दौचागत संरचना के सम्बन्ध में।**

- प्रस्तावित स्थल हरदोई-बालामऊ मार्ग पर है।
- प्रस्तावित रिटेल आउलेट भूमि के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नहीं गयी हैं।
- कुल भूखण्ड एरिया 1068.23 वर्ग मीटर तथा प्रस्तावित ऊँचाई 6.00 मीटर है।
- प्रस्तावित रिटेलआउलेट के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार वर्तमान में नहीं है।
- प्रस्तावित रिटेलआउलेट में प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित है प्रत्येक की चौड़ाई 11.50 मीटर है जो मानक के अनुरूप है।

**प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था**

प्रस्तावित आउट लेट स्थापित किये जाने के उपरान्त एवं संचालित किये जाने के पूर्व निम्न अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा—

- एक अदद ए०एफ०एफ०एफ० फोम ड्राली 50 लीटर क्षमता का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक डिस्पेरिंग यूनिट पर 02 अदद डी०सी०पी० 10 किंग्रा० / ए०बी०सी० 09 किंग्रा० क्षमता का फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०15683 के अनुरूप रखा जाना आवश्यक होगा।
- जनरेटर हेतु 02 अदद आई०एस०आई० मार्क ए०बी०सी० एक्सटिंग्यूशर 09 किंग्रा० क्षमता का रखा जाना आवश्यक होगा।
- 0.08 अदद फायर बकेट मय स्टैण्ड अधिष्ठापन आवश्यक होगा।
- पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टाक एवं 02 अदद बेल्ना रखा जाना आवश्यक होगा।
- धूम्रपान निषेध की पटिका को लगाया जाना आवश्यक होगा।
- प्रस्तावित रिटेल आउलेट पर फ्लैमप्रूफ लाइटों का ही प्रयोग किया जायेगा।
- जनरेटर का एंजास्ट पाइप बाहर की ओर रखेंगे तथा एंजास्ट पाइप में स्पार्क एरेस्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अप्डर ग्राउण्ड एम०एस० / एच०एस०डी० टैंक की अर्थिंग नियमानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्तावित रिटेल आउलेट पर ओ०आई०एस०डी० मानकों का एवं पेट्रोलियम एक्ट एवं रॉल्स का अनुपालन करना होगा।
- ओवर हेड इलेक्ट्रिक लाइन व प्रस्तावित व्यवस्था के बीच की दूरी इडियन इलेक्ट्रिक सिटी रॉल्स एवं रेगुलेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
- निकटतम फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर द्वारा खाता नं० 899 ग्राम वल्लीपुर परगना वंगर तहसील व जनपद हरदोई में एम०एस० / एच०एस०डी० रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है कि रिटेल आउट लेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्थाओं का अग्नि शमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न अनुमोदित मानचित्र

(आर०एस०त्रिपाठी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
हरदोई

प्रतिलिपि:- 1 स्वामी/प्रबन्धक/व्यवस्थापक को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त अकित विशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन कर अधोहस्ताक्षरी को कार्य व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण कराने हेतु।

*[Signature]*  
(आर०एस०त्रिपाठी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
हरदोई